

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 3/2017-एकीकृत कर**

**सा.का.नि. 662(अ).**—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 से धारा 13, धारा 16 से धारा 19, धारा 21, धारा 23 से धारा 25 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 3/2017 – Integrated Tax**

**G.S.R. 662(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 4 to 13, 16 to 19, 21, 23 to 25 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.